प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 10.07.2026

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे चोरी की 01 स्कूटी बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 10.07.2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा उच्चाधिकारीगण के आदेश निर्देशों के अनुपालन में की जा रही चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त गगन दीप निर्मल पुत्र चंद्र पाल निर्मल नि0 नोरंगाबाद थाना सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस उम्र करीब 28 वर्ष को जयपुरिया रोड खण्डर विल्डिंग कौशाम्बी के पास से चोरी की 01 स्कूटी सहित गिरफ्तार किया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध बरामदगी के आधार पर धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त गगन दीप निर्मल उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं दिल्ली एनसीआर/गाजियाबाद क्षेत्र में मोटरसाइकिल/स्कूटी चोरी करता हूँ जिन्हें बेचकर अपने शौक मौज पूरे करता हूँ यह स्कूटी मैंने स्कूटी नीति खण्ड इन्दिरापुरम से लगभग 3 महीने पहले चोरी की थी, जिसे आज मैं बेचने की फिराक मे जा रहा था कि आपने पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- गगन दीप निर्मल पुत्र चंद्र पाल निर्मल नि0 नोरंगाबाद थाना सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 01 स्कूटी बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम ।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त(हिस्ट्रीशीटर) गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 09.07.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त वाजिद पुत्र अनवर निवासी शालीमार गार्डन नियर भाटी चौक (आमना मकान मालिक के किराये के मकान में) थाना

शालीमार गार्डन गा0बाद उम्र करीब 22 वर्ष को डिफेन्स कॉलोनी कट टीलामोड़ के पास से चोरी की 01 स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त के द्वारा घुम घुमकर रैकी कर गाडियो को चोरी कर राह चलते व्यक्तियों सस्ते दामों पर लालच देकर बेच देता हुँ जिससे अभियुक्त अपने शौक-मौज पूरे करता हूँ। बरामद स्कूटी अभियुक्त द्वारा दिल्ली में जाफराबाद से चोरी की थी जिसे आज मैं बेचने के लिए जा रहा था कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. गिरफ्तार अभियुक्त वाजिद पुत्र अनवर निवासी वर्तमान पता शालीमार गार्डन नियर भाटी चौक (आमना मकान मालिक के किराये के मकान में) थाना शालीमार गार्डन गा0बाद उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त वाजिद (हिस्ट्रीशीटर) पर थाना टीलामोड़,थाना शालीमार गार्ड़न पर लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट के 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा वाटर कूलर से करंट लगे व्यक्ति की बचाई जान।

दिनांक 09-07-2026 को शाम के समय बारिश के दौरान एक लड़का उम्र करीब 17 वर्ष निवासी जगतपुरी थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद अपनी साइकिल से आकर निवाड़ी रोड के पास लगे वाटर कूलर से पानी पीने लगा, इसी दौरान वाटर कूलर में बिजली का करंट आने के कारण उसे बिजली ने पकड़ लिया, मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा देख चौकी प्रभारी निवाड़ी रोड उपनिरीक्षक बृजपाल सिंह थाना मोदीनगर कमिश्नेट गाजियाबाद द्वारा तत्काल पुलिस चौकी निवाडी रोड के अन्य पुलिस कर्मियों की सहायता से बिजली के करंट के कारण वाटर कूलर से चिपके लड़के को तोलिये की मदद से खींच कर अलग किया तथा तत्काल कृत्रिम सांस देकर अस्पताल मोदीनगर लाया गया। जहां उपचार के उपरांत लड़का स्वस्थ है। इसी क्रम में युवक के परिजनों को

सूचना दी गई जिसके उपरान्त युवक के परिवारजन अस्पताल पर मौजूद आए, इसके उपरान्त थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा युवक को परिजनों के सुपुर्द किया गया।

तत्पश्चात आसपास के काफी लोग एकत्रित होकर पुलिस चौकी निवाड़ी रोड पर आए जिन्होंने युवक की जान बचाए जाने को लेकर थाना मोदीनगर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया तथा मोदीनगर पुलिस के इस साहसिक कार्य की प्रशंसा की गई।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27.10.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त अंकुर व अजय द्वारा वादिया की 13 वर्षीय पुत्री को को बहला फुसला कर ले जाना तथा वादिया के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 137(2)/352/351(2)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपहृता की बरामदगी व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया। विवेचना के दौरान मेडीकल रिपोर्ट व पीडिता के बयानों के आधार पर पर उपरोक्त अभियोग में धारा 65(1)/87 बीएनएस व 5(N)/6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की वृद्धि की गयी तथा दिनांक 01.11.2025 को अभियुक्त अजय पुत्र ब्रिजपाल निवासी गौरीपुर थाना कोतवाली जिला बागपत उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

आज दिनांक 10.07.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अंकुर पुत्र बृजपाल निवासी ग्राम गौरीपुर निवाडा थाना कोतवाली जनपद बागपत, उम्र 19 वर्ष को थाना अंकुर विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरे भाई का नाम अजय है। मेरा भाई अजय और पीडिता आपस में बातचीत करते थे। पीडिता हमारी रिश्तेदारी में ही थी। मेरा भाई अजय और मैं पीडिता को अपने साथ लेकर पानीपत लेकर चले गये थे। वहां पर मेरे भाई अजय ने किराये पर एक कमरा लिया और पीडिता के साथ रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अंकुर पुत्र बृजपाल निवासी ग्राम गौरीपुर निवाडा थाना कोतवाली जनपद बागपत, उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम– थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.05.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त जावेद उर्फ भूरा पुत्र मुन्तियाज द्वारा धारदार हथियार से वादी के पुत्र सुहेल पर वार करना, गाली गलौच करना व जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 118(1)/352/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 10.07.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये साक्ष्य संकलन,सीसीटीवी फुटैज, सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के आधार पर उक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त भूरा उर्फ नूर मौहम्मद पुत्र मुन्तियाज निवासी डबल टंकी के पास सहबिस्वा थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 109(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त भूरा उर्फ नूर मौहम्मद ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं नशे में वादी के घर के सामने खडा था। ये लोग मुझे अपने घर के सामने से हटा रहे थे, मुझे गुस्सा आ गया और हमारी आपस में मारपीट हो गयी। मेरे पास एक चाकू था मैंने गुस्से में वादी के पुत्र पर चाकू से वार कर दिया था जिससे वादी का पुत्र घायल होकर नीचे गिर गया था और मैं मौके से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

भूरा उर्फ नूर मौहम्मद पुत्र मुन्तियाज निवासी डबल टंकी के पास सहबिस्वा थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से विभिन्न स्थानों से चोरी के 07 दो पहिया वाहन बरामद।

आज दिनांक 10.07.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. आदिल पुत्र शाहिद निवासी ग्राम मीरपुर थाना गुलावटी जिला बुलन्दशहर, हाल पता अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद 2. शोएब पुत्र

शहनवाज निवासी ग्राम कादराबाद थाना गिन्नोर जिला बदायूँ, हाल पता अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 05 मोटरसाइकिल व 02 स्कूटी बरामद हुई। उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल व स्कूटी बरामदगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों आपस में दोस्त है तथा एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। हमने अपने साथियों 1. ऋषि पुत्र रामजीलाल निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद 2. लल्ला निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद के साथ मिलकर दिल्ली क्षेत्र से ये सभी मोटरसाइकिल चोरी की थी। हमने 20-25 दिन पहले भी सिल्वर सिटी में बालाजी मन्दिर के पास से एक घर से स्पलेन्डर मोटरसाइकिल व 01 मोबाइल चोरी किया था जिनको लल्ला व ऋषि द्वारा दिल्ली में ले जाकर बेच दिया गया था जिसके बिक्री के पैसे हम चारों ने आपस में बाँट लिये थे जो खर्च हो गये हैं, मोबाइल व अन्य सामान लल्ला के पास ही है। ये सभी चोरी के वाहन जो हमसे बरामद हुए हैं, हम लोगो ने मण्डोला आवास विकास क्षेत्र में झाडियों में छिपा रखे थे जिनको आज हम अपने साथियों के साथ मिलकर लोड़र में लादकर यहाँ से ले जाकर दिल्ली में बेचने की फिराक में थे कि पुलिस द्वारा हम दोनों को पकड़ लिया तथा हम दोनों को पकडते हुए देख मेरे साथी ऋषि व लल्ला लोडर लेकर मौके से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. आदिल पुत्र शाहिद निवासी ग्राम मीरपुर थाना गुलावटी जिला बुलन्दशहर, हाल पता अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

2. शोएब पुत्र शहनवाज निवासी ग्राम कादराबाद थाना गिन्नोर जिला बदायूँ, हाल पता अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद,उम्र करीब 21 वर्ष।

वांछित अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.ऋषि पुत्र रामजीलाल निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।

2.लल्ला निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाबाद।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से चोरी की 05 मोटरसाइकिल व 02 स्कूटी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त आदिल के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त चोरी के वाहन बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, पूर्व में थाना ट्रोनिका सिटी पर छिनैती का 01 अभियोग व चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी का 01 अभियोग, चोरी का 01 अभियोग, थाना भजनपुरा दिल्ली में वाहन चोरी का 01 अभियोग, थाना वजीराबाद दिल्ली में वाहन चोरी का 01 अभियोग, ई पुलिस स्टेशन दिल्ली में वाहन चोरी के 02 अभियोग, थाना शाहदरा दिल्ली में वाहन चोरी का 01

अभियोग, थाना कालकाजी दिल्ली में वाहन चोरी का 01 अभियोग, थाना पानीपत सिटी, हरियाणा में वाहन चोरी का 01 अभियोग (**कुल -11 अभियोग**) पंजीकृत है।

अभियुक्त शोएब के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त चोरी के वाहन बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, पूर्व में थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी का 01 अभियोग,थाना लोनी पर चोरी का 01 अभियोग, थाना भजनपुरा दिल्ली में वाहन चोरी का 01 अभियोग, थाना वजीराबाद दिल्ली में वाहन चोरी का 01 अभियोग, ई पुलिस स्टेशन दिल्ली में वाहन चोरी के 02 अभियोग, थाना शाहदरा दिल्ली में वाहन चोरी का 01 अभियोग, थाना कालकाजी दिल्ली में वाहन चोरी का 01 अभियोग, थाना पानीपत सिटी, हरियाणा में वाहन चोरी का 01 अभियोग (**कुल -10 अभियोग**) पंजीकृत है, अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 05 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक निरी0 श्री देवपाल सिंह पुन्डीर थाना इन्दिरापुरम द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं 'कन्विक्शन सेल' से सतत समन्वय के साथ विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री उत्कर्ष वत्स द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना इन्दिरापुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा-376 एबी भादवि व 5एम/6 पॉक्सो अधि0 में अभियुक्त अजय उर्फ रामनरेश पुत्र गजराज निवासी ग्राम कनावनी थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद द्वारा दिनांक10.07.2026 को धारा-10 पॉक्सो अधि0 में 05 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादिया की नाबालिक पुत्री के साथ घिनौना कृत्य कारित कर देने के सम्बन्ध में दिनांक 30.10.2022 को थाना इन्दिरापुरम पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री उत्कर्ष वत्स विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)	**म0मु0आ0 रेनू** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 पौरुष कुमार** पैरोकार थाना इन्दिरापुरम

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना साहिबाबाद द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं 'कन्विक्शन सेल' से सतत समन्वय के साथ विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री सतीश शर्मा द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना साहिबाबाद, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 376एबी भादवि व 5/6 पॉक्सो अधि0 में अभियुक्त रामशंकर यादव पुत्र रामनारायण यादव निवासी शालीमार गार्डन एक्सटेन्शन-1 रोज पार्क 154 एफएफ-1 थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं0- 02 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक10.07.2026 को धारा-376 एबी भादवि में 20 वर्ष का सश्रम का कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादिया की नाबालिक पुत्री के साथ घिनौना कृत्य कारित कर देने के सम्बन्ध में दिनांक 21.11.2018 को थाना साहिबाबाद पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री सतीश शर्मा विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)	**आरक्षी प्रताप सिंह** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**आरक्षी राधेश्याम** पैरोकार थाना साहिबाबाद